ालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सख्या : 30/2014

केदार पुत्र श्रीलाल जाति मीना निवासी श्रीनाल तह0 मांगरोल जिला बारां

...प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर0एल0आर0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री कर्मवीर शर्मा
दायरा दिनांकः 21.07.2014 निर्णय दिनांक : 12.02.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खाते व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नं0 93 रकबा 2.95 है0 वाके माल रामपुरिया बडौद मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2069–72 खाता संख्या 17 पर दर्ज रेकार्ड है। खसरा नं0 93 मुताबिक सेटलमेंट मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नं0 139 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा से कायम किये गये है जो साबिक जमाबंदी खाता संख्या 14 जमाबंदी सम्वत 2014 से 2023 पर दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान राजस्व जमाबंदी रेकार्ड में 0.20 है0 भूमि कम दर्ज की गई है। जो 2.95 है0 दर्ज रेकार्ड है। जबकि 3.15 है0 होना चाहिये थी। अतः प्रार्थी के खाता संख्या 17 वाके माल रामपुरिया बडौद में स्थित खसरा नं0 93 रकबा 2.95 है0 के स्थान पर रकबा 3.15 है0 दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल से जांच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2015 केम्प तिसाया दिनांक 22.05.2015 से अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि हाल खसरा नं0 93 रकबा 2.95 है0 भूमि केदार पुत्र लाला जाति मीणा सा0 श्रीनाल के खाते दर्ज है। जिसके साबिक खसरा नं0 139 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा है। जिसके तहस सेटलमेंट ने गत रकबे के मुकाबले वर्तमान रकबे में 0.34 है0 भूमि कम दर्ज की गई है। खसरा नं0 93 के समीप खसरा नं0 94 रकबा 3.75 है0 भूमि रामप्रताप पुत्र मथुरालाल जाति मीणा सा0 श्रीनाल के खाते दर्ज है। खसरा नं0 94 रकबा 3.75 के साबिक खसरा नं0 137 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा है जिसका गत के मुकाबले में 0.45 है0 बढा हुआ

उसमें से खसरा नं0 93 की कमी पूर्ति की जा सकती है। खसरा नं0 94 के खातेदार रामप्रताप मथुरालाल मीणा को सूना जाना आवश्यक होगा।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी की आराजी के समीपस्थ स्थित आराजी के खातेदार रामप्रताप पुत्र मथुरालाल मीणा व उसके कायम मुकामान को सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी के खाता संख्या 17 वाके माल रामपुरिया बडौद में स्थित खसरा नं0 93 रकबा 2.95 है0 के स्थान पर रकबा 3.15 है0 दर्ज किये जाने का निवेदन किया है तहसीलदार मांगरोल जो भूमि धारक लैण्ड होल्डर है और राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निर्णय पर पहुचा है कि प्रार्थी की आराजी के समीपस्थ स्थित आराजी खसरा नं0 94 में से 0.20 है0 आराजी की कमी की जाकर प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 93 की आराजी 2.95 है0 के स्थान पर 3.15 है0 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली में निर्णय मजमें आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया